

HeidelbergCement India Limited
CIN: L26942HR1958FLC042301
Registered Office
2nd Floor, Block B, DLF Cyber Greens,
DLF Cyber City, Phase-III,
Gurugram, Haryana 122002, India
Phone +91-124-4503700
Fax +91-124-4147698
Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2023-24

28 March 2024

BSE Ltd.
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Scrip Code:500292

National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department,
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051
Trading Symbol: Heidelberg

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice

Dear Sir,

In continuation to our letter dated 27 March 2024 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published today in Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) confirming dispatch of Postal Ballot Notice and providing e-voting facility through NSDL.

The above information will also be made available on the website of the Company:
www.mycemco.com.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For HeidelbergCement India Ltd.

Rajesh Relan
Sr. Vice President- Corporate Affairs &
Company Secretary

Encl.: a.a



CRACKS IN MAHA VIKAS AGHADI

Cong, Uddhav Sena spar over candidates in Maha

Prakash Ambedkar's VBA announces 8 candidates, hints at exiting alliance

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, 27 March

The Shiv Sena (UBT), a constituent of the opposition Maha Vikas Aghadi (MVA), on Wednesday released its first list of 17 candidates for the upcoming Lok Sabha elections in Maharashtra...



ILLUSTRATION: BINAY SINHA

TROUBLE BREWING?

Senior Congress leaders in Maharashtra urge Shiv Sena (UBT) to follow coalition dharma. Vanchit Bahujan Aghadi's Prakash Ambedkar accuses MVA allies of trying to use his outfit to promote dynastic politics.

three of the six seats in Mumbai - North West, North Central, and South Central. However, his party colleague Sanjay Nirupam adopted a more belligerent stand, attacking their leadership for letting the Uddhav Thackeray-led outfit grab most of the seats in Mumbai.

On the other hand, the Vanchit Bahujan Aghadi (VBA) chief Prakash Ambedkar on Wednesday announced eight Lok Sabha candidates in the state, signalling the outfit is no longer pursuing an alliance with the MVA.

Addressing a press conference in Akola, he accused MVA allies - Congress, NCP (Sharadchandra Pawar), Shiv Sena (UBT) - of trying to use his outfit to promote dynastic politics, which he asserted, his party is trying to resist.

Ambedkar said "those who were eager to have a pact" with his party, a reference to the MVA, failed to take into account the factor of Manoj Jarange, a quota activist who mobilised thousands for his rallies to demand reservation for the Maratha community.

No immediate relief from HC; Kejriwal to remain in custody

The Delhi High Court on Wednesday refused to interfere with the arrest of Chief Minister Arvind Kejriwal by the Enforcement Directorate (ED) in connection with a money laundering case linked to the excise policy 'scam'.

be taken up for final disposal on April 3 and no adjournment shall be granted. Meanwhile, Kejriwal's wife Sunita has said that her husband would do a "big expose" on the alleged excise policy scam in court on Thursday.

"Arvind has said he will do a big expose on this before the court on March 28. He will reveal the truth of this so-called liquor scam and also present evidence," Sunita said. She said Arvind Kejriwal was a brave, patriotic and genuine person and his resolve was strong despite him being a diabetic.



The judge, in the order, clarified the matter would

India summons US diplomat over arrest remarks

India on Wednesday summoned a senior US diplomat and lodged a strong protest against Washington's remarks on the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Ministry of External Affairs officials summoned the Acting Deputy Chief of Mission Gloria Berbera at its office. Reports said that a US state department official had said that Washington "encouraged a fair, transparent and timely legal process for Kejriwal."

Don't have enough money to contest LS elections: FM

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday said she declined the offer of the BJP to contest elections pleading that she did not have the 'kind of funds' required for fighting the Lok Sabha polls. The minister said that the BJP President (P Nadda) gave her the option to contest either from Andhra Pradesh or Tamil Nadu. Sitharaman was speaking at the TIMES NOW Summit 2024 in New Delhi.

Working to ensure money looted from poor is returned: PM

PM Narendra Modi said on Wednesday that he is working to ensure that nearly ₹3,000 crore 'looted' from poor people in West Bengal and attached by the Enforcement Directorate is returned to them. Modi made this assertion in a telephonic conversation with Amrita Roy, BJP candidate against TMC's Mahua Moitra in Krishnanagar Lok Sabha constituency, and claimed that power and not country is the priority of opposition parties.

EC notices to Cong's Shrinete, BJP's Ghosh

The Election Commission (EC) on Wednesday issued show-cause notices to BJP leader Dilip Ghosh, and Congress leader Supriya Shrinete for their offensive remarks against West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and Kangana Ranaut, respectively. Ranaut has been fielded by the BJP from Himachal Pradesh's Mandi Lok Sabha seat for the parliamentary elections.

AAP's lone IS MP Sushil Kumar Rinku, Punjab MLA join BJP

The Aam Aadmi Party in Punjab suffered a setback on Wednesday as its Jalandhar MP Sushil Kumar Rinku and Jalandhar West MLA Sheetal Angural joined the Bharatiya Janata Party (BJP). Rinku was fielded by the AAP from Jalandhar, and he was the party's only MP in the outgoing Lok Sabha. Rinku claimed that the ruling party in Punjab did not support him in development works.

FROM PAGE 1

FY25 target

Gaura Sen Gupta, economist at

IDFC First Bank, said: "The calendar is very positive from a supply perspective. Last time we had a similar distribution was in FY19, when we had 50 per cent of the full year supply

in HI. The calendar is good for ultra-long securities, where the supply is less than HIFY24." The government borrowing programme is scheduled to be completed in 26 weekly tranches of ₹20,000-38,000 crore each. The borrowing will be spread over three-, five-, seven-, 10-, 15-, 30-, 40- and 50-year securities.

As part of its borrowing calendar for the April-September period, the government plans to sell ₹67,000 crore of the 50-year bonds, against ₹30,000 crore in H2FY24. The central government had introduced the 50-year tenor security in its borrowing calendar for the second half of the FY24, which was a long-standing demand by life insurance companies, particularly Life Insurance Corporation of India. Before the introduction of the 50-year bond, the longest tenor government bond available was the 40-year bond.

The share of borrowing under different maturities will be 4.8 per cent for 3-year bonds, 9.6 per cent for 5-year bonds, 8.8 per cent for 7-year securities, 25.6 per cent for 10-year paper, 13.86 per cent for 15-year bonds, 8.93 per cent for 30-year securities, and 19.46 per cent and 8.93 per cent for 40-year and 50-year bonds, respectively. "The sharp 15.5 per cent Y-o-Y fall in the GoI's gross supply in the first half of the financial year, along with the bond index inclusion starting end-June 2024, is expected to augur well for G-sec yields," said Aditi Nayar, chief economist, ICRA. Bond market participants said that the yield on

the benchmark 10-year government might fall by around 4-5 basis points on Thursday following the lower-than-expected supply. The market was expecting around 58 per cent of the total borrowing in the first half, they said. "It's positive, given it is lower than expected. It's a good day for the market," said Naveen Singh, vice-president of ICICI Securities primary dealership.

T+0...

While foreign portfolio investors had raised concerns about liquidity fragmentation and submitted suggestions to the market regulator before it was approved in the board meeting this month, Sebi Chairperson Madhabi Puri Buch said they held deliberations with offshore funds to rationalise the benefits. "All investors are eligible to participate in the segment for the T+0 settlement cycle if they can meet the timelines, processes, and risk requirements as prescribed by the market infrastructure institutions," Sebi said earlier this month.

To ensure there is no fragmentation of liquidity, the price spread between T+1 and T+0 settlement will have to be narrow. Sebi has said: "The price in the T+0 segment will operate with a price band of ±100 basis points (bps) from the price in the regular T+1 market. This band will be recalibrated after every 50 bps movement in the underlying T+1 market."

More on business-standard.com

GSPC GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATION LIMITED NOTICE INVITING TENDER. Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC), the Operator of Onshore Blocks, invites competitive bids for a Tender under two bid system for Sale of company owned vehicles.

PDS Limited. Notice of Loss of Share Certificates. The following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issuance of duplicate share certificate(s).

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED. NOTICE INVITING TENDERS. TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Table with columns: Tender Enquiry No., Work Description, Estimated Cost/EMD (Rs.), Availability of Bid Document, Last Date & Time of Bid Submission/Date and time of Opening of bids.

LLOYDS METALS AND ENERGY LIMITED. Regd. Office : Plot No A 1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur, Maharashtra - 442505. Corporate Office : A2, 2nd Floor Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, the General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, the General Circular No. 20/2021 dated 08 December, 2021 and the General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Lloyds Metals and Energy Limited ("the Company") has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement dated 21st March, 2024 at 27th March, 2024 through electronic mode only to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited or with their Depositories/Depository Participant as on 15th March, 2024 ("Cut-off Date").

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016). RELEVANT PARTICULARS. 1 Name of the corporate debtor: Darode Jog Realities Private Limited. 2 Date of incorporation of corporate debtor: 03rd May 2010. 3 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered: RoC - Pune.

HeidelbergCement India Limited. CIN: L26942HR1958FLC042301. Regd. Office: 2nd Floor, Block-B, DLF Cyber Greens, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana -122002.

POSTAL BALLOT NOTICE. Members are hereby informed that pursuant to Section 108 & 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, HeidelbergCement India Limited ("the Company") seeks approval of its members through Postal Ballot e-voting process in respect of the following matter:

Item No. 1 Description: By way of Ordinary Resolution- Appointment of Mr. Roberto Callieri (holding DIN 05139888) as a Non-Executive Director of the Company, liable to retire by rotation. The Company has on Wednesday, 27th March 2024 through e-mail completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with explanatory statement to the members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 22 March 2024 i.e., the cut-off date, are eligible for e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date for reckoning voting rights, should treat this Notice for information purposes only.

BS SUDOKU # 2421

Sudoku grid with numbers 1-9 in some cells and empty spaces in others.

SOLUTION TO #2420

Solved Sudoku grid showing the final arrangement of numbers.

Very hard: ★★★★★ Solution tomorrow

HOW TO PLAY Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9



ऋण वसूली न्यायाधिकरण <p>600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इंदराना सेतु मॉडरि के समीप, लखनऊ (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)</p>	
अध्यक्ष (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)	
अध्यक्ष	
उप-अध्यक्ष	
अधीनस्थ अधिकार प्रदाएत लिमिटेड एवं अन्य	
प्रति-अधीनस्थ अधिकार प्रदाएत लिमिटेड , यथा : ए–180, सेक्टर–63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। Imaginacity@gmail.com . अन्य पता यहां पर भी : जी–221, द्वितीय तल, सेक्टर–63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, तिन कोड– 201301।	
सहायक	
प्रतिवादी सं. 1/उपकारिता	
2– निवेश कुमार, आगरा लगन 41 वर्ष, पुत्र– श्री भिविलेकर कुमार, इमेजिनसिटी इंफ़रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, पता : महान नगर-55, हिंदुस्तान ग्रुप के पास, वी.आई.सी. कॉलेजो, मेलाटांडा रोड, दामोदरपुर, बनारस, झारखंड, तिन कोड 826004।	
प्रतिवादी सं-2, उपकारिता गारंटरगण	
3– ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम 31 वर्ष, पत्नी– विकास कुमार, इमेजिनसिटी इंफ़रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यथा : एफ–1008, अमरपाली पाइकल स्टेट रोडनं-78, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश तिन कोड–201301।	
प्रतिवादी सं. 3/ उपकारिता/ गारंटर	
उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में, आपको बचपन के प्रश्नगण के उत्तरोंता आदेवक या उत्सके षकील/विधिवाता अधिकृत एजेंट करे इस्की एक प्रति देने के साथ, टिप्पणिलेन में व्यक्तितक करमें में या अपने विधिलिखत अधिकृत एजेंट या कानूनी वकालती के माध्यम से प्रवेक्षों एवं शर्तबन्धों (वॉरिंटेड कोर्ट) को प्रातः 24.07.2024 को प्रातः 10:30 बजे टिप्पणिलेन के समक्ष फार्म में उत्तर प्रवेक्षन करना तथा उत्तर उपलब्ध 24.07.2024 को प्रातः 10:30 बजे टिप्पणिलेन के समक्ष उपलब्ध होना होगा, ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई कर ली जायेगी और निर्णय ले लिया जायेगा।	
राजेश्वर ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ	

ऋण वसूली न्यायाधिकरण <p>600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इंदराना सेतु मॉडरि के समीप, लखनऊ (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)</p>	
अध्यक्ष (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार आदित्य चतुर्वेदी और प्रीति चतुर्वेदी को 03.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLNO00202894 की राशि रु. 40,74,909.69 (रूपए चालीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ नौ और उनहत्तर पैसे मात्र) और 19.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 40,74,909.69 (रूपए चालीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ नौ और उनहत्तर पैसे मात्र) 19.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
चौबीसवीं मंजिल पर यूनिट नंबर R0230H2428 - 2428, जिसका सुपर परिया 500 स्क्वे. फीट, ब्लॉक एच में, "अप कंट्टी" कहें जानेवाले परिचोजना में, प्लॉट-1 पर स्थित, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, जीआर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	
दिनांक : 22.03.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गौतम बुद्ध नगर	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

ऋण वसूली न्यायाधिकरण <p>600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इंदराना सेतु मॉडरि के समीप, लखनऊ (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)</p>	
अध्यक्ष (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार आदित्य चतुर्वेदी और प्रीति चतुर्वेदी को 03.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLNO00202894 की राशि रु. 40,74,909.69 (रूपए चालीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ नौ और उनहत्तर पैसे मात्र) और 19.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 40,74,909.69 (रूपए चालीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ नौ और उनहत्तर पैसे मात्र) 19.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
उसीवीं मंजिल पर फ्लैट नं. 1-2/1905 जिसका सुपर परिया 890 स्क्वे. फीट, टॉवर - 12, इको विलेज IV से पहचाने जानेवाले परिचोजना में, प्लॉट नं. जीएच-01 पर स्थित, सेक्टर 16 बी, ग्रेटर नोएडा-201308, उत्तर प्रदेश।	
दिनांक : 22.03.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : ग्रेटर नोएडा	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

ऋण वसूली न्यायाधिकरण <p>600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इंदराना सेतु मॉडरि के समीप, लखनऊ (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)</p>	
अध्यक्ष (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अजय कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता को 21.02.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLDCP00212343 की राशि रु. 55,05,269.17 (रूपए इक्कीस लाख दो हजार चौबीस सौ नवारी और सत्तानवे पैसे मात्र) और 21.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 21,02,589.97 (रूपए इक्कीस लाख दो हजार चौबीस सौ नवारी और सत्तानवे पैसे मात्र) 21.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
फ्लैट नंबर 2319, जिसका सुपर क्षेत्र 500 स्क्वे. फीट, ईशईवीं मंजिल, ब्लॉक-एच, सुरपटेक अप कंट्टी, प्लॉट नंबर टीएस 1, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	
सही/-	प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.03.2024	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड
स्थान : गौतम बुद्ध नगर	

ऋण वसूली न्यायाधिकरण <p>600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इंदराना सेतु मॉडरि के समीप, लखनऊ (अधिकार क्षेत्र – उत्तर प्रदेश का भाग)</p>	
अध्यक्ष (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अजय कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता को 21.02.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLDCP00212343 की राशि रु. 55,05,269.17 (रूपए इक्कीस लाख दो हजार चौबीस सौ नवारी और सत्तानवे पैसे मात्र) और 21.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 21,02,589.97 (रूपए इक्कीस लाख दो हजार चौबीस सौ नवारी और सत्तानवे पैसे मात्र) 21.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
फ्लैट नंबर 2319, जिसका सुपर क्षेत्र 500 स्क्वे. फीट, ईशईवीं मंजिल, ब्लॉक-एच, सुरपटेक अप कंट्टी, प्लॉट नंबर टीएस 1, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	
सही/-	प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 22.03.2024	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड
स्थान : गौतम बुद्ध नगर	

हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड <p>सीआईएन: एए269424चआर1956Rपरफरल042301</p> <p>पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, डीएलएफ साइबर ग्रीन्स, एलएएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुडगांव, हरियाणा-122002, फोन: +91 0124-4503700, फैक्स : +91 0124-447698 ई-मेल: investors.mcl@mycem.in; वेबसाइट : www.mycemco.com</p>	
पोर्टल बैलट सूचना	
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 और 110 के साथ परिचित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक आनुविधानों (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्विषेक्षण के साथ), भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानक पर आम सभाओं के सामान्य मुद्दों पर, सेबी (सूचीकरण अनुबंध और प्रकटन आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत, हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) निम्नलिखित मामलों के संबंध में पोर्टल बैलट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने सदस्यों की मजूरी की मांग करती है :	
क्र.सं.	विवरण
1	सामान्य प्रस्ताव के द्वारा – कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री रॉबर्ट केलिएरी (सीआईएन 05139988) की नियुक्ति, जो रोडेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने योग्य है।

कंपनी ने बुधवार, 27 मार्च 2024 को ईमेल के माध्यम से पोर्टल बैलट नोटिस के साथ सदस्यों को समझाकर बयान मेजने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया है, जिनका नाम मेगनल सिस्कोरिटीज डिमांडिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) और स्टैंडल डिमांडिटी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों की सूची/लाभांशों मालिकों के नाम राजेश्वर/सूची पर दर्ज था। शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024, यानि कट-ऑफ तिथि के रूप में, राजेश्वर/सूची पर आम सभाने वाले सदस्य ई-वोटिंग के लिए जाएंगे। जो वोटिंग अधिकारी के विचार के लिए कट-ऑफ तिथि के रूप में सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य के गणना के लिए है।

जिन सदस्यों को पोर्टल बैलट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे हमारे राजेश्वर और शेयर ट्रांसफर के लिए, अर्थात् इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री में नैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की irg@integratedindia.in पर ईमेल कर सकते है, या कंपनी की वेबसाइट www.mycemco.com या NSDL की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> से इस्की कॉपी डाउनलोड कर सकते है। कृपया ध्यान दें कि कम्पनी/आरटी/डिमांडिटी प्रतिभागी (ओं) को साथ उनके ईमेल पते के अयोग्य पंजीकरण के कारण जो सदस्य नोटिस प्राप्त नहीं कर पाए है, वे भी नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन करके प्रस्ताव पर वोट डालने के अधिकारी होंगे।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए शेगनल सिस्कोरिटीज डिमांडिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक बन्धवस्था की है।रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लीगिंग क्रेडेंशियलस के बैलट नोटिस के साथ शेयर होल्डर्स को भेजे जाएं है। एनएसडी सर्वलूजर की धाराओं के अनुसार, शेयरहोल्डर केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से वोट दे सकते है। शेयरहोल्डर्स को पोर्टल बैलट नोटिस व फार्म की डिजिटल कॉपियां और प्रोपेड बिजनेस रिक्वाइर एनवोलन नहीं भेजे गए है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 28 मार्च 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ दिनांक के अनुसार कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते है। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 26 अप्रैल 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद सदस्यों को वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-वोटिंग के सदस्यों से वोट देने की प्रक्रिया को सफल करने में उपलब्ध कराई गई है।इन विवरणों का उल्लेख कंपनी की वेबसाइट पर भी है।किसी भी अनिष्ट पर कृपया वोट के मागने में, आप एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड संस्करण में उपलब्ध ई-मतदाताओं के लिए एक्सेस पूछें जाने वाले परम और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते है।या पूरुष्टातक के लिए एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक प्रस्ताव पर evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते है, या फोन नं. 022-48867000 एच 022-24999700 एच 022-24999700 पर कॉल कर सकते है। सदस्य investors.mcl@mycem.in पर ई-मेल द्वारा कंपनी के निदेशक विभाग से भी संपर्क कर सकते है या यहां नं. 0124-4503700 पर कॉल कर सकते है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री निरवानंद सिंह को कंपनी सचिव इल डोल-टाइम प्रेजिंटस (एफएसएस नंबर 2668, सीएस नंबर 2388) के रूप में नियुक्त किया है जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोर्टल बैलट ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करेगा। बैकलिंक जांचकर्ता के रूप में श्री मोहम्मद बराल, कंपनी सचिव इल डोल-टाइम प्रेजिंटस (एफएसएस नंबर 11922, सीपी नंबर 16868) को नियुक्त किया गया है।

पोर्टल बैलट के तरीके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 30 अप्रैल 2024 को 5.00 बजे (आईएसटी) या उसके पहले घोषित किए जाएंगे। जहां गये तरीकों के साथ जांचकर्ता की रिपोर्ट पंजीकृत कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। नतीजों को र्टिक एक्सेसजेंट की वेबसाइट www.bsendingia.com पर www.nseindia.com पर भी देखा जा सकेगा। नतीजे कंपनी की वेबसाइट www.mycemco.com और NSDL की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

कूटे हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड हस्ता/- राजेश रेलन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट-कॉर्पोरेट अफेयर्स एवं दिनांक : 27 मार्च 2024

कच्चा सूचना <p>(अचल संपत्ति हेतु)</p>	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अशोक कुमार चौधरी और गुनेश देवी को 26.12.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLLAJ00204284 की राशि रु. 19,18,041.32 (रूपए उन्नीस लाख अठारह हजार इकतालीस और बत्तीस पैसे मात्र) और 21.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 19,18,041.32 (रूपए उन्नीस लाख अठारह हजार इकतालीस और बत्तीस पैसे मात्र) 21.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
चौबीसवीं मंजिल पर यूनिट नंबर R0230H2428 - 2428, जिसका सुपर परिया 500 स्क्वे. फीट, ब्लॉक एच में, "अप कंट्टी" कहें जानेवाले परिचोजना में, टाएल-1 पर स्थित, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, जीआर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश।	
दिनांक : 22.03.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गौतम बुद्ध नगर	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कच्चा सूचना <p>(अचल संपत्ति हेतु)</p>	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विजय कुमार चौधरी (पोआ राम कुमार के माध्यम से), विनीता चौधरी (पोआ राम कुमार के माध्यम से) और राम कुमार को 26.12.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLNOD00213644 की राशि रु. 69,94,826.85 (रूपए उनहत्तर लाख चौरानवे हजार आठ सौ छब्बीस और पचास पैसे मात्र) और 12.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 69,94,826.85 (रूपए उनहत्तर लाख चौरानवे हजार आठ सौ छब्बीस और पचास पैसे मात्र) 12.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।	
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
दूसरी मंजिल पर यूनिट नं. 0203, जिसका सुपर क्षेत्र 1260 स्क्वे. फीट, "द रामगान्" से पहचाने जानेवाले टावर बी 4 में, एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, प्लॉट नंबर 001 पर स्थित, सेक्टर 118/जीएचपी, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301 उत्तर प्रदेश।	
दिनांक : 22.03.2024	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गौतम बुद्ध नगर	इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कच्चा सूचना <p>(अचल संपत्ति हेतु)</p>	
जब कि,	
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एम्प्लोसमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विजय कुमार चौधरी (पोआ राम कुमार के माध्यम से), विनीता चौधरी (पोआ राम कुमार के माध्यम से) और राम कुमार को 26.12.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. ,HHLNOD00213644 की राशि रु. 69,94,826.85 (रूपए उनहत्तर लाख चौरानवे हजार आठ सौ छब्बीस और पचास पैसे मात्र) और 12.12.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिधान्य सूचना जारी की थी। धरनाशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोसमेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सीधा राशि रु. 69,94,826.85 (रूपए उनहत्तर लाख चौरानवे हजार आठ सौ छब्बीस और पचास पैसे मात्र) 12.12.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स	